

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड - 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/27/2013-अ.भा.से.-III

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 6 जनवरी, 2014

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, 2010 बैच की गुजरात संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य सुश्री आरती लाल को 30.08.2012 से स्थायी करते हैं :


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)